क्रम संख्या – 505

रजि० नं० एल०डब्लू०/एल०पी० 896
लाइसेन्स नं० डब्लू०पी०–41
लाइसेन्स टू पोस्ट एण्ड कन्सेशनल पी०

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 1 नवम्बर 2000

कार्तिक 10, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग – 1

संख्या 2464/सत्तह–वि–1–1 (क) 28,2000

लखनऊ, 1 नवम्बर, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000 पर दिनाँक 31 अक्टूबर, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

राज्य में माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की स्थापना और उसके संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद अधिनियम, 2000, कहा जायगा।

(2) यह 30 सितम्बर, 2000 को प्रवत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषायें

2– इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''परिषद'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्ष

(ख) ''केन्द्र'' का तात्पर्य परिषद द्वारा अपनी परीक्षायें आयोजित करने के लिए नियत की या स्थान से है और इसमें उससे सम्बद्ध समस्त भू–गृहादि भी सम्मिलित है ;

(ग) ''निदेशक'' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;

(घ) ''संस्था के प्रधान'' का तात्पर्य उस संस्था के, यथास्थिति, प्रधानाचार्य या प्रधान है ;

(ङ) ''निरीक्षक'' का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक से है और इसके अन्तर्गत इस अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वा कोई अधिकारी भी है ;

(च) ''संस्था'' का तात्पर्थ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे किसी संस्कृत विद्यालय से है f मध्यमा तक की संस्कृत शिक्षा दी जाती है ;

(छ) ''अन्तरीक्षक'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी केन्द्र पर परीक्षाओं के सं पर्यवेक्षण में केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करें ;

(ज) ''मान्यता'' का तात्पर्य परीषद की परीक्षाओं में बैठने के लिये अभ्यर्थियों को तैया प्रयोजन के निमित्त प्रदान की गयी मान्यता से है ;

(झ) ''सम्भागीय संयुक्त निदेशक'' का तात्पर्य किसी सम्भाग के प्रभारी शिक्षा संयुक्त है और इसमें सम्भागीय संयुक्त निदेशक के समस्त कर्तव्यों या उनमें से किसी का के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी सम्मिलित हैं ;

(ञ) ''विनियम'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(ट) ''केन्द्र अधीक्षक'' का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं का संचालन और पर्यवेक्षण के लि द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति से है और इसमें अपर अधीक्षक भी सम्मिलित है ;

(ठ) किसी परीक्षार्थी के सम्बन्ध में, जब कि वह किसी परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो, साधन'' का तात्पर्य अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता स रूप में लिखित, अंकित (रेकार्डेड), प्रतिलिपिकृत या मुद्रित किसी सामग्री की सहाय किसी टेलीफोन, वायरलेस या इलेक्ट्रानिक या अन्य यन्त्र या जुगत से अप्राधिकृत प्र

परिषद का संघटन

3– (1) ऐसे दिनाँक से जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, उत्तर प्रदेश माध्यमि संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम से एक परिषद स्थापित की जायेगी ।

(2) परिषद एक निगमित निकाय होगी ।

(3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :–

(क) निदेशक जो परिषद का अध्यक्ष होगा ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट,

(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट, दो

(घ) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट, एक विज्ञान अध्यापक ;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज का, राज्य सर नाम–निर्दिष्ट, एक प्राचार्य या विभागाध्यक्ष ;

(च) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्कृत महाविद्यालय के, राज्य सरकार द्वारा नाम दो प्राचार्य

(छ) राज्य की विधान सभा द्वारा निर्वाचित उक्त सभा के दो सदस्य ;

(ज) राज्य के विधान परिषद द्वारा निर्वाचित उक्त परिषद का एक सदस्य
(झ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षाविद ;
(ञ) निदेशक, संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश ;
(ट) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट उद्योग के दो प्रतिनिधि
(ठ) निदशेक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश
(ड) प्राचार्य, केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्था, इलाहाबाद
(ढ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो उप निरीक्षक संस्कृत विद्यालय ;
(ण) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का कुलपति या उसका नाम निर्देशिती जो उपाचार्य से निम्न पंक्ति का न हो ;
(त) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के दो विभागाध्यक्ष ;
(थ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट ऐसा कोई अधिकारी जो उप निदेशक शिक्षा से निम्न पंक्ति का न हो, जो राज्य–सचिव होगा ;
(द) निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश
(ध) उप निदेशक, संस्कृत, उत्तर प्रदेश ;

4– परिषद के सदस्यों का निर्वाचन और नाम–निर्देशन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार यहा अधिसूचित करेगी कि परिषद का सम्यक् रूप से गठन कर दिया गया है ;

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (3) के खण्ड (छ) या खण्ड (ज) में विनिर्दिष्ट सदस्यों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व भी इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी की जा सकती है ।

सदस्यों का हटाया जाना

4–राज्य सरकार परिषद से, पदेन सदस्य से भिन्न, किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है जिसने उसके मतानुसार ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद का ऐसा घोर दुरुपयोग किया हो कि जिससे परिषद के सदस्य के रूप में उसका बने रहना जनहित के लिये हानिकर हो ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से हाटाने से पूर्व उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगी और उसे हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी ।

सदस्यों की पदावधि

5– (1) पदेन सदस्यों से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचना के दिनाँक से तीन वर्ष होगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे समस्त सदस्यों के पद की अवधि एक बार में छः मास से अनधिक समय के लिए इस प्रकार बढ़ा सकती है कि जिससे इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो ।

(2) परिषद का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जायगा ।

पदावधि की समाप्ति पर रिक्तियों का भरा जाना

6– राज्य सरकार धारा 5 के अधीन सदस्यों की पदावधि की समाप्ति के पूर्व परिषद के पुनर्गठन के लिए कार्यवाही करेगी ।

परिषद की बैठकें

7– (1) परिषद की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी और उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों परिषद की बैठकें के अध्यधीन रहते हुये वह अपनी बैठकों में कार्य–सम्पादन करने के लिए जिसके अन्तर्गत बैठकों की गण–पूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जिनके व्यवस्था इस निमित्त बनायी गयी उप विधियों द्वारा की जाय ।

(2) अध्यक्ष, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा । उसकी अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया परिषद का कोई सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) परिषद की बैठक में उठने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियाँ अविधिमान्य न होंगी

8– परिषद या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, परिषद या समिति में केवल किसी रिक्त के विद्यमान होने या उसके संघटन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

परिषद का कृत्य

9– इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:–

(क) संस्कृत शिक्षा में प्रथमा, मध्यमा और उत्तर मध्यमा कक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना ;

(ख) ऐसी पाठ्य–पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करने या अन्यथा प्रकाशन या निर्माण ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करना –

(एक) जिन्होने ऐसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो जिसे परिषद द्वारा विशेषाधिकार या मान्यता प्रदांन किया गया हो ; या

(दो) जो अध्यापक हों ; या

(तीन) जिन्होंने विनियमों में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया हो और उन्हीं शर्तों के अधीन परिषद की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ;

(घ) प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन करना;

(ङ) अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना ;

(च) अपनी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रवेश देना ;

(छ) ऐसे शुल्क मांगना और प्राप्त करना जो विनियमों में विहित किये जाय ;

(ज) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना ;

(झ) अन्य प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो परिषद अवधारित करें ;

(ञ) मान्यता प्राप्त संस्थाओं या मान्यता के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं की स्थिति के बारे में निदेशक से रिपोर्ट मांगना ;

(ट) ऐसे किसी विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपने विचार भेजना जिससे व सम्बन्धित हो;

(ठ) बजट में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संस्थाओं से सम्बन्धित नई मांगों की अनुसूचियों को देखना, जिन्हें उसने मान्यता प्रदान की हो और यदि व उचित समझे, तो उन पर अभिव्यक्ति अपने विचारों को राज्य सरकार के विचारार्थ भेजना ;

(ड) ऐसे अन्य समस्त कार्यों और बातों का करना जो उत्तर मध्यमा तक की संस्कृत शिक्षा के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक निकाय के रूप में संघटित किए गये परिषद के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हो ;

(ढ) ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन या कर्तव्य का पालन करने के लिये आवश्यक या सुविधाजनक अथवा आनुषंगिक हो ।

परिषद के अधिकार

10– (1) परिषद को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, वे सब अधिकार होंगे जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन तथा कर्तव्यों के पालन के अधीन उसके कृत्यों के निर्वाहन तथा कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्कय हों ।

(2) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद के निम्नलिखित अधिकार होंगे, –

(एक) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना, जिसे वह –

(क) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का ; या

(ख) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रार्थना–पत्र में कोई असत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य छिपाने का ; या

(ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरोपण का ; या

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का; या

(ङ) परीक्षा के दौरान किसी घोर अनुशासनहीनता का, दोषी पाये ;

(दो) खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (घ) तक में उल्लिखित सभी या किन्हीं कृत्यों के लिये या परीक्षाफल की घोषणा में परिषद के किसी सद्भावनापूर्ण भूल के कारण किसी अभ्यार्थी का परीक्षाफल रद्द करना ;

(तीन) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये शुल्क नियत करना और उनको वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना ;

(चार) किसी ऐसी संस्था को मान्यता देने से इन्कार करना जो, –

(क) कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिए परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा इन तक नहीं पहुंचती है ; या

(ख) परिषद द्वारा इस निमित्त निर्धारित मान्यता की शर्तो का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती ;

(पांच) ऐसी संस्था की मान्यता वापस लेने जो कर्मचारिवर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिये परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती या जो परिषद के सन्तोषानुसार मान्यता की शर्तों का पालन नहीं करती ;

(छः) नियमों या विनियमों या परिषद के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और नियमों या विनियमों या परिषद के निर्णयों, अनुदेशों या निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे रीति से उचित कार्यवाही करना जो विनियमों द्वारा नियत की जाय;

(सात) यह सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त संस्था का निरिक्षण करना की नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाय और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाये तथा उनका यथोचित उपयोग हो ; और

(आठ) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती किये जा सकें ।

(3) उपधारा (1) और (2) में उल्लखित समस्त मामलों में परिषद का निर्णय अन्तिम होगा ।

किसी नये विषय में या उच्च कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता

11– धारा (10) के खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी, परिषद, राज्य सरकार के पूर्वअनुमोदन से किसी नये विषय या विषयों के वर्ग में या किसी उच्च कक्षा के लिए किसी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकती है ।

दान का उचित उपयोग

12-- जहाँ किसी संस्था द्वारा जिसमें राज्य सरकार या स्थानीय प्राधीकारी द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था भी सम्मलित है, अंशदान या दान, चाहे वह नकद हो या वस्तुरूप में, लिया या प्राप्त किया जाता है, वहाँ इस प्रकार प्राप्त अंशदान या दान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए वह संस्था को दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित संस्था की दशा में

नकल अंशदान या दान उस संस्था के वैयक्तिक खाता में जमा किया जायेगा जिसका संचालन राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायेगा ।

अधिनियम का लागू होना

13-- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में यह किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की ओर से ; जो उत्तर मध्यमा तक संस्कृत शिक्षा प्रदान कर रही हो और राजकीय संस्कृत विद्यालय ; वाराणसी या सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हों इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समझी जायेगी और उक्त राजकीय विद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उनके द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं रह जायेगी और इस अधिनियम के अपबन्धों से शासित होग ;

प्रतिबन्ध यह है कि उक्त राजकीय विद्यालय या विश्वविद्यालय, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व ऐसे संस्था में प्रथमा, पूर्व मध्यमा या उत्तर मध्यमा के पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों की परीक्षा लेगा और ऐसे व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करने की शक्ति होगा ।

राज्य सरकार का अधिकार

14-- (1) राज्य सरकार को परिषद द्वारा संचालित अथवा किये गये किसी कार्य के सम्बन्ध में परिषद को सम्बोधित करने तथा किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जिससे परिषद सम्बन्धित हो, परिषद को अपने विचार सूचित करने का अधिकारी होगा ।

(2) परिषद, राज्य सरकार को उसके पत्र पर की गई अथवा की जाने के निमित प्रस्तावित कार्यवाही की, यदि कोई हो, सूचना देगा ।

(3) यदि परिषद उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे तो परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण या उसके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार इस अधिनियम से संगत ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो वह उचित समझें और परिषद ऐसे निर्देशों का पालन करेगा ।

(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन तो वह परिषद को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश दिये बिना इस आधिनियम से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिससे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिषकार, विखण्डन या रचना कर सकती है और तदनुसार परिषद को तत्काल सूचना देगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायेगी ।

परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

15-- इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ परिषद, उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जिन्हें राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, वह उचित समझें नियुक्त कर सकती है ।

परिषद के अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य

16- (1) परिषद के अध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि इस अधिनियम का और विनियमों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है और उसे तत्प्रयोजनार्थ आवश्यक समस्त अधिकार प्राप्त होगें।

(2) परिषद के अध्यक्ष को परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और वह यथोचित सूचना देने के पश्चात किसी भी समय ऐसे अधियाचन पर जिस पर परिषद की कुल सदस्यता के कम से कम एक चौथाइ सदस्यों के हस्ताक्षर हों तथा जिसमें बैठक में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का उल्लेख हो, बैठक बुलायेगा ।

(3) परिषद के प्रशासनिक कार्य के सम्बन्ध में पैदा होने वाली किसी ऐसी आपत्तिक स्थति में जिसमें उसके अध्यक्ष के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना अपेक्षित है, अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह आवश्यक समझे और और उसके पश्चात परिषद को उसकी अगली बैठक में किये गये कार्यवाही की सूचना देगा ।

(4) परिषद के अध्यक्ष ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियम द्वारा विहित किया जाये ।

परिषद के सचिव के अधिकार और कर्तव्य	17.	परिषद का सचिव, परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद के अधीक्षण, नियन्त्रण एवं निदेशों के अधीन रहते हुए उसके विनिश्चयों कि निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा । वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा विहित किये जायें और विशेषतया, वह -- (क) वार्षिक प्राक्कलन और लेखा विवरण तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा, (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि समस्त धनराशियाँ उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय की जाये जिसके लिए वह स्वीकृत या प्रदिष्ट की गई हों ; (ग) परिषद की बैठक के कार्यवृत्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा ; और (घ) परीक्षाओं के संचालन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हो ; (ङ) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें ।
समितियों और उपसमितियों की नियुक्त और संगठन	18-	(1) परिषद निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसी भिन्न-भिन्न समितियाँ नियुक्त की जा सकती हैं, अर्थात -- (क) पाठ्यक्रम समिति, (ख) परिक्षा समिति, (ग) परिक्षाफल समिति, (घ) मान्यता समिति और (ङ) वित्त समिति (2) ऐसी समितियों में केवल समितियों के सदस्य ही सम्मलित होंगे, और इनका गठन इस प्रकार होगा की प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक-एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके :-- (क) संस्थाओं के प्रधानाचार्य या प्रधान, (ख) अध्यापक, (ग) राज्य की विधान सभा के सदस्य, (घ) राज्य की विधान परिषद के सदस्य, (ङ) शिक्षाविद् ; प्रतिबन्ध यह है कि परिषद का कोई सदस्य इन समितियों में से एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी परिषदकी सदस्यता के साथ समाप्त होगा । (3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, परिषद ऐसी अन्य समितियां या उप समितियां, जो विनियमों द्वारा विहित की जायं, नियुक्त कर सकती है । (4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त समितियों और उप समितियों का गठन ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धन और शर्तो पर होगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें ।
प्रत्यायोजन का अधिकार	19--	परिषद, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि विनियमों को बनाने के अधिकार के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी अधिकार का प्रयोग सभापती या ऐसी समिति या अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसे शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें निर्दिष्ट की जायें, किया जा सकता है.
केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक लोक सेवक होंगे	20--	केन्द्र अधीक्षक और अन्तरीक्षक भारत दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेगे।
परिषद का विनियम बनाने का अधिकार	21--	(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ विनियम बना सकती है। (2) विशेषतया और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकती है, अर्थात -- (क) समस्त समितियों और उपसमितियों का संगठन उनका अधिकार और कर्तव्य ; (ख) डिप्लोमाओं तथा प्रमाण-पत्र का प्रदान करना ; (ग) संस्थाओं को मान्यता प्रदान किये जाने की शर्ते ;

(घ) समस्त प्रमाण–पत्रों और डिप्लोमाओं के निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ङ) वे शर्तें जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद की परीक्षाओं में प्रविष्ट किये जायेंगे और डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों के पाने के पात्र होंगे ;

(च) परिषद की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए शुल्क ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ज) परिषद की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न–पत्र, परिष्कारकों, तुलनाकारों, परिनिरीक्षकों सारिणीकारों, केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों और अन्तरीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार और कर्तव्य और उनके पारिश्रमिक की दरें ;

(झ) मान्यता के विशेषाधिकारों के लिए संस्थाओं का प्रविष्ट किया जाना और मान्यता का वापस लेना ;

(ञ) ऐसे समस्त विषय जिनकी विनियमों द्वारा व्यवस्था की जानी हो या की जा सके ।

परिषद द्वारा बनाए गय विनियमों का प्रकाशन और पूर्व अनुमोदन

22-- (1) धारा 21 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेगें ।

(2) राज्य सरकार परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को परिष्कार सहित या परिष्कार रहित अनुमोदित कर सकती है ।

प्रशासन योजना

23-- (1) किसी विधि, लेख्य या किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रशासन योजना होगी, चाहे उस संस्था को इस अधिनियम के प्रारम्भ के पहले मान्यता प्रदान की गयी हो या उसके बाद में । प्रशासन योजना द्वारा उन्य विषयों के साथ–साथ एक प्रबन्ध समिति के संघटन की व्यवस्था की जायगी जिसमें संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन का प्राधिकार निहित होगा । संस्था के प्रधान और उसके दो अध्यापक, जो ज्योष्ठता के अनुसार बारी--बारी से विनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्य होंगे और उन्हे मत देने का अधिकार होगा ।

(2) जब भी किसी प्रबन्ध समिति के किसी सदस्य के वैयक्तिक आचरण से सम्बन्धित किसी आरोप पर विचार किया जा रहा हो तब वह सदस्य न तो समिति की बैठक में भाग लेगा और न अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा ।

(3) विनियमों के अधीन रहते हुए, प्रशासन योजना में संस्था के प्रधान और संस्था के संबंध में प्रबन्ध समिति के अलग–अलग अधिकार, कर्तव्य और कृत्य भी बताये जायेंगे ।

(4) किसी निकाय या प्राधिकारी द्वारा एक से अधिक मान्यता प्राप्त संस्थाओं का अनुरक्षण किये जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के लिए उस समय तक अलग–अलग प्रबन्ध समिति होगी जब तक की विनियमों में संस्थाओं के किसी वर्ग विशेष के लिए अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो ।

(5) प्रत्येक संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदन के अधीन होगी और प्रशासन योजना में किसी भी समय कोई संशोधन या परिवर्तन निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिर्वतन या अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा ।

(6) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था का प्रबन्ध उपधारा (1) से उपधारा (5) के अधीन और उनके अनुसार बनायी गयी प्रशासन योजना के अनुसार किया जायेगा ।

जब भी किसी संस्था के प्रबन्धतन्त्र के सम्बन्ध में कोई विवाद हो तो ऐसे व्यक्ति से, जिनके

सम्भागीय संयुक्त निदेशक द्वारा ऐसी जांच करने पर जैसी वह उचित समझे ऐसी संस्था के कार्यकलापों पर वास्तविक नियन्त्रण पाया जाय, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था की प्रबन्ध समिति के गठन की तब तक मान्यता प्रदान की जायगी जब तक की सक्षम अधिकारिता को कोई न्यायालय अन्यथा निदेश न दें ;

प्रतिबन्ध यह यह कि सम्भागीय संयुक्त निदेशक इस उपधारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व, विरोधी दावेदारों को लिखित अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा ।

स्पष्टीकरण :– इस प्रश्न का अवधारण करने में कि संस्था पर वास्तविक नियन्त्रण किसका है, सम्भागीय संयुक्त निदेशक संस्था की निधि और उसके प्रशासन पर नियन्त्रण, उसकी सम्पत्ति से आय की प्राप्ति, उपधारा (5) के अधीन अनुमोदित प्रशासन योजना और अन्य सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा ।

संस्थाओं का निरीक्षण और दोषों का दूर किया जाना

24– (1) निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें (सम्भागीय) अपनी अधिकारिता के भीतर संस्थाओं के निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(2) निदेशक, उप निदेशक, संस्कृत और सम्भागीय संयुक्त निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी किसी संस्था का निरीक्षण कर सकता है या उसका निरीक्षण करा सकता है ।

(3) निदेशक, निरीक्षण के समय या अन्य प्रकार से पायी गयी किसी त्रुटि या कमी का निराकरण करने के लिए संस्था के प्रबन्धतंत्र को निदेश दे सकता है ।

(4) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में असफल रहे तो निदेशक, प्रबन्धतंत्र द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् –

(क) मान्यता वापस लेने के लिए मामले को परिषद् के पास अभिदिष्ट कर सकता है ; या

(ख) उपधारा (5) के अधीन संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है ।

(5) यदि उपधारा (4) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सिफारिश के प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उस संस्था प्रबन्ध किसी प्राधिकृत नियंत्रक को सौंप दिया जाय तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय एक प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर सकती है और वह प्राधिकृत नियंत्रक प्रबन्ध समिति या अन्य किसी भी व्यक्ति को अपवर्जित कर संस्था का प्रबन्ध, जिसके अन्तर्गत संस्था की या उसमें निहित भूमि, भवन, निधि और अन्य परिसम्पत्तियां भी हैं, अपने हाथ में ले सकता है, और कभी प्राधिकृत नियंत्रक इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले जो उसे, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां और प्राधिकार होंगे जो प्रबन्ध समिति को होते, यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता ।

(6) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश प्रथमतः एक वर्ष के अनधिक अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य की यह राय हो कि संस्था का समुचित प्रबन्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा करना इष्टकर हो तो वह समय–समय पर आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार आदेश के प्रवर्तन के कुल अवधि जिसके अन्तर्गत उपधारा (5) के अधीन प्रारम्भिक आदेश के निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो ;

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्वक संघटित कोई प्रबन्ध समिति न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक इस रूप में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति विधिपूर्वक संघटित हो गयी हो ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार उपधारा (5) या इस उपधारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को किसी समय विखण्डित कर सकती है ।

(7) कोई प्राधिकृत नियंत्रक सौंपे गये कर्तव्यों का पालन करने में अपने द्वारा सदभावना से किये गये कृत्यों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी न होगा ।

(8) उपधारा (5) के अधीन दिया गया कोई आदेश संस्था के प्रबन्ध और नियन्त्रण, जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है, से सम्बन्धित या संस्था की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति या संलेख में तत्सम्बन्धी कोई असंगत बात अन्तर्विष्ट होने पर भी प्रभावी होंगे ।

(9) उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन मान्यता वापस लेने के लिए परिषद् द्वारा दिये गये किसी आदेश और उपधारा (5) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

(10) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियंत्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी और उनका अल्पीकरण करने वाली न होंगी ।

संस्था के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया

25– इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक और अन्य कर्मचारी विनियमों के अनुसार नियुक्त किये जायेंगे ।

संस्था के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें

26– (1) किसी संस्था में सेवायोजित प्रत्येक व्यक्ति सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जो विनियमों द्वारा विहित की जायं और प्रबन्धतंत्र और ऐसे कर्मचारियों के बीच किया गया कोई करार; जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से या विनियमों से असंगत हो, शून्य होगा ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है :--

(क) आचार संहिता, परिवीक्षा की अवधि, स्थायीकरण की शर्तें और पदोन्नति तथा दण्ड देने की प्रक्रिया और शर्तें, जिसके अन्तर्गत जांच या अपेक्षित जांच होने पर या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिए किसी दण्डिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण किये जाने तक निलम्बन भी है तथा निलम्बन की अवधि के लिए उपलब्धियां और नोटिस देकर सेवा का समाप्त किया जाना सम्मिलित है ;

(ख) वेतन कम और वेतन का भुगतान ;

(ग) एक मान्यता प्राप्त संस्था से दूसरी में सेवा का स्थानान्तरण ;

(घ) छुट्टी प्रदान करना और भविष्य निधि और अन्य लाभ ; और

(ड) कार्य और सेवा के अभिलेख का रख जाना ।

(3) (क) संस्था का कोई प्रधान या अध्यापक, संभागीय संयुक्त निदेशक की लिखित रूप में पूर्व स्वीकृति के बिना न तो सेवोन्मुक्त किया या सेवा से हटाया या पदच्युत किया जा सकता है न पंक्तिच्युत किया जा सकता है और न ही उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है और न उसे सेवायें समाप्त करने का नोटिस दिया जा सकता है ।

(ख) संभागीय संयुक्त निदेशक प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तावित दण्ड को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है या उसे घटा या बढ़ सकता है या सेवायें समाप्त करने का नोटिस को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड के मामलों में सम्भागीय संयुक्त निदेशक आदेश जारी करने के पूर्व संस्था के प्रधान या अध्यापक को इस बात का एक अवसर देगा कि वह नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से एक पखवारे के भीतर कारण बतावें कि उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों न दिया जाय ।

(ग) कोई पक्ष खण्ड (ख) के अधीन किसी सम्भागीय संयुक्त निदेशक के आदेश के विरूद्ध आदेश की सूचना पाने के दिनाँक से एक माह के भीतर निदेशक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है और निदेशक ऐसी अतिरिक्त जांच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द या परिष्कृत कर सकता है और निदेशक का आदेश अन्तिम होगा ।

(4) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धतंत्र द्वारा निलम्बित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धतंत्र की राय में, --

(क) उसके विरूद्ध आरोप इतने गम्भीर न हों कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना उचित समझा जाय ; या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो ; या

(ग) उसके विरूद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए दण्ड विषयक मामला अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक अधमता सन्निहित हो ।

(5) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तब उसकी सूचना निलम्बन के आदेश के दिनाँक से सात दिन के भीतर सम्भागीय संयुक्त निदेशक को दी जायेगी और सूचना के साथ ऐसे विवरण जो विनियमों द्वारा विहित किए जाय संलग्न होंगे और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे ।

(6) निलम्बन का कोई आदेश जब तक कि सम्भागीय संयुक्त निदेशक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो उस आदेश के दिनांक के साठ दिन के अधिक अवधि के लिए प्रवृत्त न रहेगा और सम्भागीय संयुक्त निदेशक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

(7) यदि किसी समय सम्भागीय संयुक्त निदेशक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना विलम्ब किया जा रहा है तो सम्भागीय संयुक्त निदेशक प्रबन्धतंत्र को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिय गये निलम्बन के आदेश को प्रतिसंहृत कर सकता है ।

आकस्मिक रिक्तियाँ

27-- परिषद या परिषद् द्वारा नियुक्त किसी समिति के सदस्यों में, पदेन सदस्यों के अतिरिक्त होने वाली समस्त रिक्तियों की पूर्ति यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायेगी जिसने उस सदस्य को निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया हो जिसका स्थान रिक्त हुआ हो और किसी अकिस्मिक रिक्ति में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, परिषद् या समिति का उस शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान में उसकी नियुक्ति हुई हो ।

परिषद् और समितियों का उपविधियां बनाने का अधिकार

28-- (1) परिषद् और उसकी समितियां इस अधिनियम, नियमों और विबनयमों से संगत उपविधियां बन सकतीं हैं, जिसमें

(क) उनकी बैठकों में पालन की जानी वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाय ;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनकी उपविधियों द्वारा व्यवस्था की जानी हो, या की जा सके ;

(ग) केवल परिषद् और उसकी समितियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जिनके इस अधिनियम, नियमों और विनियमों द्वारा व्यवस्था की गयी हो ।

(2) परिषद् और उसकी समितियां परिषद् या समिति के सदस्यों को परिषद् या समिति की बैठकों के दिनांक और उनमें सम्पादित किये जाने वाले कार्य की सूचना देने और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने की व्यवस्था करने के लिए उपविधियां बनायेगी ।

(3) परिषद् समिति द्वारा इस धारा के अधीन बनाई गयी किसी उपविधि में संशोधन या विखण्डन निदेश दे सकती है और समिति ऐसे निदेश को कार्यान्वित करेगी ।

सद्भावना से किए गये कार्य का लिए संरक्षण — 29– राज्य सरकार, परिषद या उसकी किसी समिति और उपसमिति या परिषद् या किसी समिति या उ समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसे कार्य के संबंध में नहीं की जा सकती है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए किसी नियम, विनियम, उपविधि, दिये गये आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया ग हो या किये जाने के लिए अभिप्रेत हो ।

न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक — 30– इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में परिषद् या उसकी किसी समि या उपसमिति द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय पर किसी न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं की जाये

परिषद् की निधि — 31– (1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् को प्राप्त सभी धनराशियां उसमें जमा की जायेगी अ परिषद् के सभी भुगतान उसी से किये जायेंगे ।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए इस अधिनियम उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों का प्रयोजनों लिए ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, व्यय करने की शक्ति होगी ।

लेखा और लेखा परिक्षा — 32– (1) परिषद्, उचित लेखा और अन्य संगत अभिलेख रखेगी और ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे वार्षिक विवरण पत्र तैयार करेगी ।

(2) परिषद् एक वार्षिक विवरण–पत्र तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे

(3) परिषद् के लेखों की परीक्षा ऐसे प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जिसे राज्य सरकार सामान्य या वि आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे ।

(4) लेखा परीक्षा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित परिषद् के लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रा सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे ।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति — 33– (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरक अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के अपबन्धों के असंगत न हों, सकती है जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की सम के पश्चात् नहीं किया जायगा ।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उप उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्र अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम बनाने की शक्ति — 34– राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

निरसन और अपवाद — 35– (1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जात

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधि सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2000

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठ
प्रमुख सचिव